

संख्या-1168 / 33-3-2007-165 / 2002
लाभार्थी

प्रेस्पक्.

आरो के० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ:

दिनांक:

23 जून, 2007

१८८--
२९-६७

विषय:- संचित गाँव कोष में जमा धनराशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश गाँव निधि में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनांतरा संख्या-2267 / 33-3-2002-165 / 2002, दिनांक-19.07.2002 तथा संख्या-469, दिनांक-28.04.2006 की ओर आपका आदेश आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उ०प्र० जर्मीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-124 के अधीन स्थापित गाँव निधि (गाँव कोष) में मछली के ठेकों तालाबों, पोखरों, झीलों, आदि की नीलामी / पट्टा आदि से प्राप्त समस्त आय की धनराशि तथा इसी अधिनियम की धारा-126 "क" के अधीन स्थापित संचित गाँव कोष में धारा-122 "बी" के अन्तर्गत हागाये गये दण्ड और क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा की जाती है। विधिक स्थिति यह है कि इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि गाँव कोष में ही जमा की जानी चाहिये। इस प्रकार जमा की गयी राशि में से अधिकतम 25 प्रतिशत राशि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार निकाल कर संचित गाँव कोष में डाली जा सकती है। इस विधिक स्थिति के विपरीत व्यवहार में नीलामी आदि से प्राप्त कुल राशि संचित गाँव कोष में डाल दी जाती है और बाद में पंचायती राज विभाग संचित गाँव कोष में उपलब्ध राशि में से 75 प्रतिशत राशि गाँव कोष में डालने का प्रयास करता है। यह प्रयोग एवं नियमों के नियंत्रण तो है ही, इसके साथ स्थिति यह भी है कि पंचायती राज विभाग के उन्नत प्रयास बहुत कम सफल हो पाते हैं और यांत्र तक ऐसा ग्रामशास्त्र अनुभावक रूप से संचित गाँव कोष में पड़े रह जाती है। ऐसा ऐसा में गात काष्ठ के उपयोग से ग्राम पंचायत स्तर के विकासात्मक कारों का सम्पादन वास्तव होता है। उक्त स्थिति के आलोक में राजस्व अनुभाग-2 से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासनांदेश सं-१९६ / १-२-२००५-रा-२, दिनांक-०३ जून, 2005 द्वारा दस आठांच तक निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि गाँव सभा के तालाबों आदि की नीलामी अपेक्षा से प्राप्त आय तत्काल सम्बन्धित गाँव कोष में जमा करा दी जाए और कुल

४२. १०

पृष्ठा ५८

राशि की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि सचित गाँव कोप में भी आवश्यक रूप से जमा की जाये।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर सचित गाँव कोप में वार्षिक जमा को गढ़ धनराशि का दिनांक 31-5-07 तक का विवरण लेयार कर लिया जाये याज इसका सूचना विलम्बतम दिनांक 30-6-07 तक निदेशक, पचायती राज का उपलब्ध करायी जाये। साथ ही, उसमें से सम्बन्धित गाँव सम्बन्ध में जमा का जाने वाली ग्रन्तम 75 प्रतिशत धन द्वि का भी आगा करने हुए उस सम्बन्धित ग्रन्त पचायत की गाँव निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी हारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं निदेशक, पचायती राज उ0प्र0 को तत्काल इसका सूचना उपलब्ध करायी जाये। भविष्य में लक्षण विधेक स्थिति के विपरीत इस प्रकार की कार्यवाही की पुनरावृत्ति रोकने के लिये अधिनियम व नियमावली के सन्दर्भित प्राविधिकों का कड़ाई से परिपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

भवतीय,

आर0 को इसी

प्रमुख सचिव।

संख्या—1168(1) / 33-3-2007, तदादेशांक।

प्रतिलिपि लिम्लिखित को सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0, शासन को उनके पत्र स0-396 / 1-2-05-रा-2, दिनांक 03.06.2005 के सदर्भ में।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3— निदेशक, पचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— समस्त एव्य विकास अधिकारी, प्र०।
- 5— समस्त मण्डलीय उप निदेश (पचायत), उ0प्र0।
- 6— समस्त जिला पचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस लिए दो के साथ कि वे जिलाधिकारी से व्यविलगत समर्क कर नियमानुसार चयोगित कार्यवाही सम्पन्न करायें तथा कृत कार्यवाही की सूचना गिरावट प्रारूप पर प्रत्येक माह उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव (गणदेव)

उनु सचिव।